लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 12

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2021

उभयलिंगियों के कल्याण हेतु निधियां

12. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उभयलिंगी समुदाय के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न करने हेतु विशेष निधियां आबंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लोक सेवाओं में वर्तमान में कितने उभयलिंगी व्यक्ति कार्यरत हैं;

(घ) क्या सरकार का उभयलिंगी व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों को शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उभयलिंगियों के कल्याण हेतु निधियां" के बारे में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा दिनांक 02.02.2021 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए आजीविका के अवसरों के सृजन सहित उनके लिए एक स्कीम बनाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत निर्मित नियमावली के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों को यह अधिदेशित है कि वे उन स्कीमों को अमल में लाएं जिनके माध्यम से ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, आश्रय और आजीविका हेतु आर्थिक सहायता संबंधी मामलों का समाधान किया जा सके। उपर्युक्त के समाधान हेतु एक स्कीम बनाई जा रही है जिसमें कौशल उन्नयन शामिल है।

यह मंत्रालय सरकारी सेवाओं में इस समय कार्यरत ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखता है। शिक्षा अथवा नौकरियों में ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को आरक्षण देने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****